

14.39 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED TO AUGMENT PURCHASE QUOTA
OF IRON-ORE BY M.M.T.C. IN ORISSA

SHRI RASABEHARI BEHERA (Kalahandi): Sir, Orissa abounds in mineral wealth particularly iron ore, manganese, chrome ore, and bauxite etc. Thousands of tribal labourers from different parts of Orissa and neighbouring States earn their livelihood by working in the iron ore mines of Keonjhar, Mayurbhanj and Sundargarh district of Orissa. Metals and Mineral Trading Corporation is the sole purchaser of iron ore from these mines. The Government of India earns foreign exchange worth several crores of rupees by exporting iron ore from Orissa mines. Thus, the development of Orissa primarily depends upon the proper exploration of iron ore mines.

It is a matter of regret that this major iron ore belt of Orissa is facing crisis due to the failure of MMTC in augmenting its annual purchase quota from these mines. The shocking fact is this that from 1976-77 onwards MMTC has not lifted even half of its quota accumulated at different railway sidings of these three districts. Millions of tonnes of iron ore have been accumulated at Banspani railway sidings alone. In view of the above difficulties, some iron ore mines particularly those managed by Orissa Mining Corporation have been declared closed. Due to this, a large number of labourers working in these mines and various railway sidings have been retrenched. The Government of Orissa has been taking up this matter time and again with the MMTC authorities and stressing the need for increasing its annual purchase of iron ore from these mines. In spite of all such efforts made by the Government of Orissa, MMTC has not yet taken any decision to buy more quantities of iron ore. Effective steps have also not been taken for

clearing the stagnating iron ores. This sort of apathy of MMTC may lead towards the breakdown of law and order, because, this issue is inter-linked with the human problem in the backward State like Orissa.

Therefore, I draw the urgent attention of the Government of India to direct the MMTC to take steps for augmenting the annual purchase quota of iron ore from these languishing mines.

Similar steps should also be taken for clearing the accumulated stocks forthwith.

(ii) NEED TO START FAST RUNNING
SERVICE BETWEEN LUCKNOW AND
DELHI

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद)
उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलों देश में महत्वपूर्ण सेवा कर रही है दिल्ली से अनेक रेल गाड़ियां अलीगढ़ होती हुई लखनऊ, कलकत्ता आदि विभिन्न स्थानों को जाती हैं दूसरी ओर कुछ मेल गाड़ियां मुराबाबाद से होती हुई लखनऊ जाती हैं ? चूंकि यह तेज रफतार गाड़ियां हैं, अतः बीच के क्षेत्र में लगभग 50-60 लाख की आबादी इन तेज रफतार गाड़ियों में यात्रा करने से वंचित रह जाती हैं और इन्हें लखनऊ कलकत्ता आदि स्थानों पर पहुंचने में बंधद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्हें रिजर्वेशन कभी नहीं मिलता और मजबूर होकर यह लोग रेलों की छतों और बम्पर्स पर बैठकर सफर करते हैं ? इससे जिन्दगी का खतरा रहता है। आये दिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तेज रफतार गाड़ियों में जगह न मिलने के कारण इन्हें सामान्य गाड़ियों में बैठने के लिए विवश होना पड़ता है। जिस पर काफी समय और धन खर्च होता है। इन गरीब लोगों की आवाज में कोई ताकत नहीं है। उनकी कठि-

[श्री गुलाम मोहम्मद खा]

नाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। बरेली-आगरा पैसेन्जर गाड़ी में चन्दौसी से दिल्ली जाने के लिए टिकट तो एक्सप्रेस का लेना पड़ता है, जबकि अलीगढ़ तक 100 किलोमीटर का सफर पैसेन्जर से करना पड़ता है इसके अतिरिक्त यह गाड़ी प्रायः लेट चलती है। इसका नतीजा यह होता है कि लखनऊ एक्सप्रेस से इसका मिलान नहीं हो पाता और लोगों को दूसरी गाड़ी के लिए कई घंटों इन्तजार करना पड़ता है और उनकी कठिनाई का पारावार नहीं रहता।

बरेली से अलीगढ़ जो लगभग दो सौ किलोमीटर फासला है इसके लिए अभी कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जबकि पांच जिले—बरेली, मुरादाबाद, बदायूँ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ का आधा हिस्सा इस ब्रांच के अन्तर्गत आता है।

अतः रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि इन कठिनाइयों की ओर शीघ्र ध्यान देकर उपरोक्त क्षेत्र की जनता के लिए एक फास्ट अप और एक डाउन ट्रेन दिल्ली, अलीगढ़, चन्दौसी, बरेली, होती हुई लखनऊ की ओर तुरन्त शुरु की जाए, तो दिवाई, बबराला, बहजोई, चन्दौसी आंवला आदि इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मंडियों के व्यापारियों और जन साधारण को काफी सुविधा हो जाएगी और वे सरकार और रेल मंत्रालय के आभारी रहेंगे।

(iii) DEATH OF A MANAKPURA RESIDENT OF DELHI IN MYSTERIOUS CIRCUMSTANCES

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : नियम 377 के अर्धीन मैं सार्वजनिक महत्व के विषय पर निम्न-लिखित मामला आज सदन में उठाना चाहता हूँ :—

दिल्ली में एक और नौजवान रह-स्यमय परिस्थिति में मृत घोषित किया

गया। मानकपुरा का निवासी राजकुमार, सब्जीमण्डी रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेच कर अपनी गुजर बसर करता था। होली के दिन मानकपुरा में उसका कुछ पुलिस वालों से झगडा हो गया बताया जाता है, उसके बाद राजकुमार का पता ठिकाना नहीं लगा।

पुलिस ने राजकुमार के घर वालों को थाने में बुला कर पूछताछ की और उन्हें परेशान भी किया बताया जाता है। यह प्रक्रिया 15 दिनों तक चलती रही। प्रति दिन शाम को पुलिस वाले राजकुमार के घर आते रहे और उसका पता ठिकाना पूछते रहे। अचानक 25 अप्रैल से पुलिस वालों ने राजकुमार के घर आना बन्द कर दिया। इससे घर वालों को शक हुआ कि राजकुमार का पता लग गया है और वह पुलिस की हिरासत में है। किन्तु जब घर वाले पूछताछ के लिये पुलिस थाने पर गये तो उन्हें टाल दिया गया।

28 अप्रैल, 1981 को पुलिस ने राजकुमार के घर वालों को खबर दी कि राजकुमार ने आत्म हत्या कर ली है। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि मरने से पहले राजकुमार ने अपनी कलाई पर लिखा कि वह आत्म हत्या करने जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। किन्तु कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शरीर पर चोटों के निशान थे। कलाई पर आत्म हत्या करने की बात लिखना भी गले के नीचे नहीं उतरती।

पुलिस के भय से घर वाले राजकुमार की मौत पर कुछ कहने के लिये तैयार नहीं हैं। पड़ोसी भी सहमें हुए हैं।